157

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग/3429/II-15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

नथुवा पुत्र श्री गुमना चमार
निवासी– ग्राम मझगुवॉ तहसील राजनगर
जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर

...... अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 16.11.15 को प्रस्तुत
16-11-15
क्लर्क ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/अ–19(4)/स्व0नि0/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यहकि, आवेदक भूमिहीन कृषक था इसलिये भूमि खसरा नं. 9 एवं 14 मौजा मझगुवॉ खुर्द में स्थित भूमि एकत्र रकवा 1.400 है0 का आवंटन मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम 1984) के तहत् आवेदक को तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ–19 (4)/1999–2000 में विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये किया गया था।

2. यहकि, अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा लगभग 14 वर्ष पश्चात् उपरोक्त प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जाकर आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना हीं अपने पारित आदेश दिनांक 19.02.2015 से आवेदक के हित में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। आवेदक अनपढ़ हरिजन व्यक्ति है और उसे उक्त आदेश की जानकारी ना तो न्यायालय द्वारा दी गयी है। और न हीं उनके अभिभाषक द्वारा जब दिनांक 25.10. 2015 को आवेदक हल्का पटवारी से सूखा राहत के संबंध में जानकारी प्राप्त करने मिला था। तब पटवारी द्वारा बताया गया कि अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा आपका पट्टा निरस्त कर दिया गया है इसलिये सूखा राहत की कोई राशि उसे प्राप्त नहीं होगी उक्त जानकारी के आधार पर उसने अपने अधिवक्ता से दिनांक 26. 10.2015 को सम्पर्क किया। तब उन्होने बताया कि आपका आदेश फरवरी माह में हो गया है, तब आवेदक ने पैसा का इन्तजाम कर नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.10. 2015 को प्रस्तुत किया एवं नकल दिनांक 05.11.2015 को प्राप्त हुयी इसके पश्चात् दीपावली का त्यौहार आने से तत्काल् निगरानी प्रस्तुत करने हेतु ग्वालियर नहीं आ सका और जब दिनांक 14.11.2015 को ग्वालियर आया तो अभिभाषक ने बताया कि आज द्वितीय शनिवार होने से ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3729-दो/2015 जिला छतरपुर नथुवा विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 98/अ-19(4)/स्व.निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 19-02-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-11-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

18.1.19

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 18.1.19
सदस्य